बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0– EST-652/1/2022-SEC_8-.....1343.../–श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, नालंदा (बिहारशरीफ) सम्प्रति बर्खास्त को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दिनांक–21.07.2017 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के कारण विभागीय आदेश सं0–2218 दिनांक–05.06.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के उपरांत संचालन पदाधिकारी–सह–उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न अनुलग्नको की छायाप्रति की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, नालन्दा सम्प्रति बर्खास्त का नाम परिवादी द्वारा रिश्वत मांगने संबंधी आवेदन में नही दिया गया है तथा पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम में भी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा (मेमोरेण्डम में उल्लेखित नाम जितेन्द्र कुमार) के पास से कोई भी आपत्तिजनक समान बरामद नहीं होने का उल्लेख है किंतु 15000/– रू0 (पन्द्रह हजार रूपया) गिनकर लेने और अवर निबंधक, श्री नीरज कुमार को दिये जाने का उल्लेख मेमोरेण्डम में किया गया है साथ ही सोडियम कार्बोनेट के घोल के पानी में आरोपी कर्मी श्री जितेन्द्र कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों को और बाए हाथ की अंगुलियों को बारी–बारी से धुलवाने पर सफेद घोल गुलाबी हो जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, नालन्दा सम्प्रति बर्खास्त से भले ही रिश्वत की राशि प्राप्त नहीं हुई किंतु परिवादी से रिश्वत की राशि लेकर श्री नीरज कुमार को दिये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) के प्रतिकूल कार्य किया गया है। विभागीय पत्रांक–3469 दिनांक–26.06.2025 द्वारा संचालन पदाधिकारी–सह–उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपी कर्मी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसके अनुपालन में श्री सिन्हा द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया है जिसमें वर्णित है कि तथ्यात्मक निष्कर्ष पूरी तरह दोषपूर्ण है और अनुमान और अंदाजा पर आधारित है। विभागीय कार्रवाई में आरोंपों को प्रमाणिकता का पूर्वाग्रह के आधार पर साबित करने की आवश्यकता होती है। इस केस में आरोप पत्र के साथ कोई गवाहों की सूची उपलब्ध नहीं की गई थी। चूंकि इस केस में किसी साक्षी का बयान नहीं हुआ है, जाँच रिपोर्ट जो कि पोस्ट ट्रैप मेमोरेन्डम पर आधारित है, स्वीकार्ययोग्य नहीं है। आरोपी कर्मी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा के द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान एवं जॉच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी–सह–उप निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी कर्मी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई भी नया साक्ष्य एवं तथ्य समर्पित नहीं किया है। उनके द्वारा केवल उन्ही तथ्यों व साक्ष्यों को पुनः दुहराया गया है जो उन्होने पूर्व में जॉच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी–सह–उप निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष अपने बचाव बयान में उल्लेखीत किया था जबकि संचालन पदाधिकारी उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा जाँचोपरांत समर्पित अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न अनुलग्नको की छायाप्रति की विवेचना से यह

27.02.26

स्पष्ट होता है कि श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, नालन्दा सम्प्रति बर्खास्त से भले ही रिश्वत की राशि प्राप्त नहीं हुई किंतु परिवादी से रिश्वत की राशि लेकर श्री नीरज कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, नालन्दा को दिये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) के प्रतिकूल कार्य किया गया है। उक्त आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधक कार्यालय, नालंदा सम्प्रति बर्खास्त को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल गंभीर भ्रष्टाचार करने के प्रमाणित आरोप के फलस्वरूप श्री सिन्हा को विभागीय आदेश–4664 दिनांक–12.08.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्डादेश अधिरोपित एवं संसूचित किया गया जिसके विरूद्ध श्री सिन्हा के अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–08.10.2025 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचिका/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधक कार्यालय, नालंदा सम्प्रति बर्खास्त को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल गंभीर भ्रष्टाचार करने के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–4664 दिनांक 12.08.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (Xi) के तहत् सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रकियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

4. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि वर्तमान में वे अनेक भयानक रोगों से ग्रसित है। मधुमेह, यकृत, गुर्दा एवं उच्च रक्त–चाप की बीमारियों के कारण दिनांक–02.12.2022 को उन्हे हृदय–घात (हार्ट अटैक) हुआ। तत्पश्चात इन्हें मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरूग्राम में भर्ती कराया गया जहाँ उनके हृदय एवं फेफड़ा का ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा कराया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न अनुलग्नको की विवेचना से स्पष्ट होता है कि श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, नालन्दा सम्प्रति बर्खास्त का नाम परिवादी द्वारा रिश्वत मांगने संबंधी आवेदन में नही दिया गया है तथा पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम में भी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा (मेमोरेण्डम में उल्लेखित नाम जितेन्द्र कुमार) के पास से कोई भी आपत्तिजनक समान

बरामद नहीं होने का उल्लेख है किंतु 15000/– रू0 (पन्द्रह हजार रूपया) गिनकर लेने और अवर निबंधक, नीरज कुमार को दिये जाने का उल्लेख मेमोरेण्डम में किया गया है साथ ही सोडियम कार्बोनेट के घोल के पानी में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों को और बाए हाथ की अंगुलियों को बारी–बारी से धुलवाने पर सफेद घोल गुलाबी हो जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, नालन्दा सम्प्रति बर्खास्त से भले ही रिश्वत की राशि प्राप्त नहीं हुई किंतु परिवादी से रिश्वत की राशि लेकर श्री नीरज कुमार, जिला अवर निबंधक को दिये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) के प्रतिकूल कार्य किया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

7. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधक कार्यालय, नालंदा सम्प्रति बर्खास्त के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

8. अतएव उक्त के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, बर्खास्त निम्नवर्गीय लिपिक के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

9. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– EST-652/1/2022-SEC_8- 1343 /– पटना, दिनांक– 27.2.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, नालंदा/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, गयाजी/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गयाजी/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/जिला अवर निबंधक, नालंदा/जिला अवर निबंधक, गयाजी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, बर्खास्त निम्नवर्गीय लिपिक, द्वारा–स्व0 धीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, मुहल्ला–टिल्हा, महावीर स्थान, जिला–गयाजी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2026

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

27.02.26